

पत्र संख्या-11/आ० वि०-21/2024 सा0प्र0..... 3562

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 28.02.25

विषय :- पान/स्वासी जाति को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-9532 दिनांक-01.07.2015 द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-33 पर दर्ज "तांती (ततवा)" जाति को विलोपित करते हुए अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक-20 पर दर्ज पान/स्वासी के साथ समावेशित किया गया था, ताकि तांती/ततवा जाति को अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-18802/2017 डॉ० भीम राव अम्बेडकर विकास मंच बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वाद के मामलों में दिनांक-15.07.2024 को पारित के आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-12679 दिनांक-09.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा तांती/ततवा जाति को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए मूल कोटि अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-33 पर पूर्व की भांति पुनर्स्थापित किया गया है।

विभिन्न ज्ञापनों एवं अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को संदर्भित करते हुए राज्य के विभिन्न अनुमंडलों/अंचलों द्वारा मूल रूप से पान/स्वासी जाति के व्यक्तियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु समर्पित किए गए आवेदनों को भी अस्वीकृत किया जा रहा है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में निर्गत परिपत्र संख्या-12679 दिनांक-09.08.2024 द्वारा मात्र तांती/ततवा जाति मात्र को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए उनके मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। यह आदेश मूल रूप से पान/स्वासी जाति, जो पूर्व से अनुसूचित जाति कोटि के क्रमांक-20 पर अंकित है, के सदस्यों पर प्रभावी नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 (छायाप्रति संलग्न) की कंडिका-9 में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु साक्ष्य के रूप में निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत किए जाने हेतु समुचित माना गया है-

(9.1) आवेदक/आवेदिका के पिता/पूर्वज का राजस्व अभिलेख (यथा-खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि)।

(9.2) कंडिका-(9.1) में उल्लिखित अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन को भी यथा स्थिति यथा समय जाति प्रमाणपत्र हेतु आधार बनाया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 की कंडिका-9(1) में प्रावधानित साक्ष्यों के आधार पर मूल रूप से पान/स्वासी जाति के सदस्यों को नियमानुसार अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।
अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन

(रजनीश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या-11/आ.2-आ.नी.-05/2010सा.673/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव ।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना ।

पटना-15, दिनांक 08 मार्च, 2011

विषय :- जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति/आय/आवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु बिहार सरकार/भारत सरकार द्वारा इससे संबंधित मार्ग-दर्शन को परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करने हेतु समय-समय पर अनुदेश दिया जाता रहा है । साथ ही इन प्रमाणपत्रों को निर्गत करने हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र भी परिचारित किया जाता रहा है ।

वर्तमान में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र एवं अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं आवास प्रमाणपत्र के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी प्रमाणपत्र निर्गत करते हैं । इसमें प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के कारण आवेदकों को काफी परेशानी होती है । इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, जाली प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने तथा पारदर्शिता लाने हेतु राज्य सरकार ने विचारोपरांत निर्णय लिया है कि सरकारी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे ।

प्रमाणपत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त आवेदन हेतु आवेदनों की प्राप्ति एवं उसके निष्पादन संबंधी मार्ग-दर्शन दिये जा रहे हैं, जो निम्नांकित हैं:-



- (1) जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र जाँचोपरांत अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे । राजस्व अभिलेख की जाँच/ स्थलीय जाँच अंचलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जायेगी ।
- (2) वांछित प्रमाणपत्र हेतु आवेदक/आवेदिका द्वारा विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरे गये आवेदन, संगत स्वयं शपथपत्र अर्थात् आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जाने वाला शपथपत्र सहित संबंधित अंचल कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
- (3) राजस्व कर्मचारी/पंचायत सेवक/जनसेवक के हस्ताक्षर का नमूना संबंधित अंचल कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा ।
- (4) वांछित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन का निष्पादन अंचल कार्यालय में प्रस्तुत करने पर प्रस्तुतीकरण के इक्कीस दिनों के अन्दर कर दिया जाय । साथ ही साथ वांछित प्रमाणपत्र देय नहीं होने की स्थिति में कारण को स्पष्ट करते हुए इस आशय की भी सूचना आवेदक/आवेदिका को दे दी जायेगी ।
- (5) आवेदन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर प्राधिकृत कर्मी वांछित प्रमाणपत्र (दो प्रतियों में) निर्गत कराकर एक प्रति संबंधित आवेदक/आवेदिका को प्राप्त करा देंगे ।
- (6) राज्य सरकार से इतर प्राधिकारों/अन्य संस्थानों में नियुक्ति अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए अगर अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की माँग की जाती है तो ऐसे मामले में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र को उच्चाधिकारी द्वारा मात्र प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा ।
- (7) किसी संस्थान विशेष द्वारा यदि उनके द्वारा निर्मित विहित प्रपत्र में प्रमाणपत्रों की माँग की जाती है तो संबंधित पदाधिकारी द्वारा वांछित प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे ।
- (8) **ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाणपत्र बार-बार निर्गत नहीं किये जायेंगे ।** पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र के साथ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापांक संख्या-36033/4/97-स्था.(आरक्षण) दिनांक 25.07.03, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-11/वि.5-09/1998-1074 दिनांक 06.07.2005 द्वारा परिचारित किया गया है, के आलोक में क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी शपथपत्र फॉर्म-XVIII में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जो मान्य होगा ।
- (9) **जाति प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे :-**
आवेदक/आवेदिका के पिता/पूर्वज का-
 - (9.1) राजस्व अभिलेख (यथा खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि) ।
 - (9.2) कडिका-(9.1) में उल्लिखित अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन को भी यथा स्थिति यथा समय जाति प्रमाणपत्र हेतु आधार बनाया जा सकता है ।
- (10) **आवास प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे:-**
आवेदक/आवेदिका के माता-पिता/पूर्वज का-
 - (10.1) राजस्व अभिलेख (यथा खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि) ।



- (10.2) राशन कार्ड ।
- (10.3) निर्वाचन पहचान पत्र ।
- (10.4) विद्युत विपत्र ।
- (10.5) दूरभाष विपत्र ।

(11) आय प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे:-

आवेदक/आवेदिका के माता-पिता का-

- (10.1) वेतन/पेंशन पर्ची ।
- (10.2) आयकर रिटर्न ।
- (10.3) अन्यान्य अभिलेख ।

(12) प्रमाणपत्रों की वैधता :-

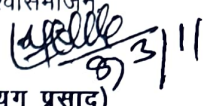
- i. **जाति प्रमाणपत्र** :- सामान्यतया जाति प्रमाणपत्र की वैधता की कोई सीमा नहीं होगी ।
- ii. **आय प्रमाणपत्र** :- आय प्रमाणपत्र हेतु आय का आकलन गत वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर होगा, जो निर्गत होने की तिथि से अगल एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा ।
- iii. **आवास प्रमाणपत्र** :- (क) सामान्यतया अस्थायी आवास प्रमाणपत्र की मान्यता निर्गत होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष तक होगी

(ख) स्थायी आवास प्रमाणपत्र की वैधता की कोई सीमा नहीं होगी ।

- (13) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-11/वि.5-न्याय-09/1996-1236 दिनांक 03.03.2008 द्वारा प्रावधान किया जा चुका है कि "चूँकि किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती है, अतएव एक बार निर्गत जाति प्रमाणपत्र की मान्यता सभी विभाग / कार्यालय / शिक्षण संस्थानों द्वारा दिया जाना चाहिए तथा जाति प्रमाणपत्र की सम्पुष्टि के उपरान्त इसे आवेदक को वापस कर दिया जाना चाहिए" । इसी संदर्भ में निदेश है कि जाति प्रमाणपत्र के साथ-साथ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ भी आवश्यक सम्पुष्टि के उपरान्त आवेदक/आवेदिका को वापस कर दिया जाय ।
- (14) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-70 दिनांक 11.06.96 एवं बिहार अधिनियम, 15/2003 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है ।
- (15) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-3025 दिनांक 11.09.2007 के आलोक में स्पष्ट करना है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से होगा ।
- (16) सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त आशय की सूचना तथा विहित प्रपत्र अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारियों को यथासमय उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि नयी व्यवस्था के तहत आवेदक/आवेदिका को प्रमाणपत्र सुलभ होने लगे ।
- (17) जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/आदेश/संकल्प आदि के असंगत अंश निरस्त किये जाते हैं । विभिन्न प्रमाणपत्रों/आवेदनपत्रों/स्वयं शपथपत्रों अर्थात् आवेदक/आवेदिका द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्रों हेतु विहित प्रपत्र संलग्न है ।

(18) नयी व्यवस्था पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा नियमानुसार पूर्व निर्गत सभी प्रमाणपत्र मान्य होंगे ।

अनु.-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-11/आ.2-आ.नी.-05/2010सा. 673 / पटना-15, दिनांक 08 मार्च, 2011

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 200 प्रतियाँ मुद्रित कर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-11/आ.2-आ.नी.-05/2010सा. 673 / पटना-15, दिनांक 08 मार्च, 2011

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, बिहार, पटना/सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्वदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 764) पटना, सोमवार, 12 अगस्त 2024

पत्र संख्या-11/आ०-न्याय-73/2024 12679/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।

पटना-15, दिनांक 9 अगस्त 2024

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या- 18802/2017, डॉ० भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस०एल०पी० (सी०) संख्या-18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक-15.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-9532 दिनांक-01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या-723 दिनांक-02.07.2015) द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की शक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-33 पर दर्ज तांती (ततवा) जाति को विलोपित करते हुए अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-20 पर दर्ज पान/स्वासी के साथ समावेशित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि इन्हें अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-18802/2017, डॉ० भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस०एल०पी० (सी०) संख्या-18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक-15.07.2024 को इस विषय के संबंध में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के संकल्प संख्या-9532 दिनांक-01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या-723 दिनांक-02.07.2015) को निरस्त करते हुए तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति की कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-15.07.2024 को पारित न्यायादेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निम्नांकित आदेश संसूचित किए जाते हैं-

- (i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-9532 दिनांक-01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या-723 दिनांक-02.07.2015) को निरस्त किया जाता है।
- (ii) उपर्युक्त कंडिका-(i) के द्वारा किए गए निरस्तीकरण के क्रम में राज्य के तांती (ततवा) जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण सहित अन्य सभी सुविधाएँ पूर्व की भांति अनुमान्य होगी तथा बिहार हेतु अधिसूचित अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-33 (तत्काल विलोपित) पर तांती (ततवा) जाति को पूर्व की भांति पुनर्स्थापित किया जाता है।
- (iii) उपर्युक्त कंडिका-(i) के द्वारा किए गए निरस्तीकरण तथा कंडिका-(ii) के द्वारा किए गए पुनर्स्थापन के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-9532 दिनांक-01.07.2015 की निर्गत तिथि 01.07.2015 से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश की तिथि दिनांक-15.07.2024 के बीच तांती (ततवा) जाति के वैसे कर्मी/पदाधिकारी, जिनकी राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि से नियुक्ति हुई है, की सेवा बहाल/बरकरार रखते हुए इसे अनुसूचित जाति कोटि से अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किया जायेगा। तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की मूल भावना को दृष्टिपथ रखते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किए गए कुल कर्मियों को समायोजित करने के निमित्त विशेष परिस्थिति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु संबंधित विभागों में समरूप पदों के लिए Supernumerary Post/Shadow Post सृजित करते हुए समायोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपादित की जाएगी।
- (iv) तांती (ततवा) जाति के वैसे कर्मी/पदाधिकारी, जो राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि के विरुद्ध कार्यरत हैं, के अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति के विरुद्ध अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत पदों को भरने हेतु बैकलॉग के रूप में विभागवार यथास्थिति विशेष भर्ती अभियान की कार्रवाई की जाएगी।

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-9532 दिनांक-01.07.2015 के निर्गत होने की तिथि से प्रासंगिक न्यायादेश पारित होने की तिथि दिनांक-15.07.2024 तक तांती (ततवा) जाति के वैसे कर्मी/पदाधिकारी, जिनकी अनुसूचित जाति कोटि से प्रोन्नति हुई है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त विशेष परिस्थिति में पदोन्नति ग्रेड में Supernumerary Post/Shadow Post सृजित करते हुए समायोजित करने की कार्यवाई की जायेगी। इस क्रम में अनुसूचित जाति कोटि में प्राप्त रिक्तियों को यथास्थिति यथासमय अनुसूचित जाति कोटि के उम्मीदवारों से भरने की कार्यवाई की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,
रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 764-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>